

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सम्पतलाल

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद, नम्बर :- 345/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तागील में जारी हुए
09.07.215	<p>वकील वादी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-चावण्डियाकलां में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 213 कुल किता 01 कुल रकबा 09-02 बीघा में इंगिया पुत्र भंवरु दर्ज हैं। वास्तविक नाम सम्पतलाल पुत्र भंवरलाल हैं। सबूत में वादी मूलाराम ने पहचान-पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां पेश की हैं। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।</p> <p>राजस्व लोक अदालत में मजमा-ए-आम में जावकारी प्राप्त की गई। मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 213 कुल किता 01 कुल रकबा 09-02 बीघा में वादी का नाम इंगिया पुत्र भंवरु दर्ज है जबकि सबूत के आधार पर सम्पतलाल पुत्र भंवरलाल बखूबी साबित हैं। वाद के समर्थन में पहचान-पत्र, राशनकार्ड की छाया प्रतियां पेश की हैं। इंगिया पुत्र भंवरु के स्थान पर सम्पतलाल पुत्र भंवरलाल को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 213 कुल किता 01 कुल रकबा 09-02 बीघा भूमि में इंगिया पुत्र भंवरु के स्थान पर सम्पतलाल पुत्र भंवरलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	


SDO

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

इजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

रामपतलाल पुत्र भंवरलाल तहरीलदार
जाति हरिजन
निवासी-चावण्डियाकलां
तहरील-जैतारण, जिला-पाली
(राज.)

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई मु0न0 :रा0वा0 स0: 345/2015

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955


यह मुकदमा आज वारते ईनफिसाल कतई रूबरू-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 213 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 09-02 बीघा भूमि में इंगिया पुत्र भंवरु के स्थान पर रामपतलाल पुत्र भंवरलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहरीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकगील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

बीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय रूद व शहर-.....फीरा रादी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व गोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल रोवा

केंद्र चावण्डियाकलां में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।




उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली

मुद्धई	रूपये पैरो	मुद्धायलाह	रूपये पैरो
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीरा कमीशनर	
फीरा कमीशनर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।